निर्णय बइजलास श्री दिव्यांशु शर्मा आर. ए. एस.
उप खण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण सं. 136/19 दावा
दायरा दिनांक :- 5.11.19
निर्णय दिनांक :- 18.11.21

उनवान

1. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र चन्दालाल जाति जाट
2. विजय जाट पुत्र चन्दालाल जाति जाट निवासी ग्राम बडा तह. बारां

बनाम

1. चन्दालाल पुत्र शंकरलाल दत्तक पुत्र किशनलाल जाति जाट नि. बडा तह. बारां
2. श्रीमति आशा पुत्री चन्दालाल पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट नि. सुभाषनगर रोड लंका कॉलोनी बारां
3. श्रीमति सीमा चौधरी पुत्री चन्दालाल पत्नी उजागर सिंह चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम बडा तहसील बारां
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां

दावा धारा 88, 89, 188 RTA

निर्णय दिनांक :- 18.11.21

अभिभाषक उपस्थित - हरिओम चतुर्वेदी - वादी

अभिभाषक वादी गण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 RTA विरुद्ध प्रति वादी गण के न्यायाo मे इस आशय का पेश किया गया कि वादी गण एवं प्रति वादी क्रम । ता 3 की पैतृक आराजी वाके ग्राम सिंयाडा, बडा एवं चैनपुरिया तह. बारां मे स्थित है ग्राम सिंयाडा माल ग्राम सिंयाडा, तह. बारां के ख. नं. 215 रकबा 0.45 है., ख. नं. 221 रकबा 0.77 है., ख. नं. 223 रकबा 3.40 है. कुल किता 3 [illegible] है., ग्राम बडा तहसील बारां के ख. नं. 1101 रकबा 0.46 है. [illegible] रकबा 0.46 है. कुल किता 2 रकबा 0.90 है., ग्राम चैनपुरिया के ख. नं. [illegible] रकबा 0.09 है. ख. नं. 1117 रकबा 0.18 है. ख. नं. 1119 रकबा 0.27 है. ख. नं. 1120 रकबा 0.20 [illegible] ख. नं. 1122 रकबा 0.15 है., ख. नं. 1124 रकबा 0.20 है. कुल किता 6 रकबा 1.09 है. ग्राम चैनपुरिया

लगातार - 2

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:32:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ख.नं. 1047 रकबा 0.52 हे., ख.नं. 1061 रकबा 0.13 हे. ख.नं. 238 रकबा 2.29 हे., ख.नं. 354 रकबा 0.06 हे. ख.नं. 357 रकबा 2.40 हे., ख.नं. 713 रकबा 0.10 हे., ख.नं. 757 रकबा 1.10 हे., ख.नं. 758 रकबा 0.25 हे. कुल 8 किता रकबा 5.86 हे. स्थित है उक्त वर्णित आराजीयात क्रम । व ।। प्रार्थी वादी क्रम । को अपने दत्तक पिता किशनलाल व क्रम ।।। व IV आराजीयात अपने प्राकृतिक पिता प्रेमलाल से दत्तक पूर्व विरासत में प्राप्त हुई है सारी खाते में प्रार्थी वादी क्रम । नन्दलाल के खाते में 10.93 हे. आराजी है उक्त पैतृक आराजीयात में से क्रम । आराजीयात को विवादित है। अविभक्त संयुक्त हिन्दु कुटुम्ब के वादीगण प्रार्थी वादी क्रम । सहदायिकों ने प्रार्थी वादिया क्रम 2 के विवाह उपरान्त आपस में मिल बैठकर अविभक्त संयुक्त हिन्दु कुटुम्ब की आराजीयात का बाहमी बंटवारा कर उक्त वर्णित आराजीयात को वादीगण को उनके हिस्से के रूप में संभला कर आज तारीख 2003 में बाहमी बंटवारा कर किया बाहमी बंटवारा उपरान्त से वादीगण विवादित आराजी पर बहैसियत मालिक स्वामी काबिज काश्त चले आ रहे है।

विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्रम । के नाम खातेदारी में चली आ रही है उक्त विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्रम । के नाम होने से वादीगण अपने हक हिस्से काबिज काश्त की आराजीयात पर के.सी.सी सहकारी बैंक ऋण एवं अनावृष्टि अतिवृष्टि एवं प्राकृतिक प्रकोप से विवादित आराजीयात की फसलों के नुकसानी का मुआवजा प्राप्त करने से एवं विवादित आराजी का भू. सुधार व विकास करवा पाने से वंचित हो रहे है संयुक्त हिन्दु कुटुम्ब की पैतृक आराजी में वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। वादीगण विवादित आराजी के हक हिस्सेदार होने से विवादित आराजी के खातेदार कृषक होने की विधिक घोषणा करवाकर विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है वादीगण के हिस्से की विवादित आराजी को प्रतिवादी क्रम । अपने नाम खाते दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर विवादित आराजी पर के.सी.सी. एवं सहकारी ऋण प्राप्त कर वादीगण की विवादित आराजी को बैंक में रहन रख कर विवादित आराजी पर ऋण भार अधिरोपित करने पर आमादा है [illegible] क्रम । को ऋण भार अधिरोपित करने से रोकने [illegible] प्रार्थी वादी क्रम । के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है, वाद कारण दिनांक 1.10.19 को प्रार्थी वादी क्रम । द्वारा विवादित आराजी पर के सी सी ऋण प्राप्त करने

लगातार-3

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:32:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ख.नं. 1047 रकबा 0.52 हे., ख.नं. 1061 रकबा 0.13 हे. ख.नं. 238 रकबा 2.29 हे., ख.नं. 354 रकबा 0.06 हे. ख.नं. 357 रकबा 2.40 हे. ख.नं. 713 रकबा 0.10 हे., ख.नं. 757 रकबा 1.10 हे., ख.नं. 758 रकबा 0.25 हे. कुल 8 किता रकबा 5.86 हे. स्थित है उक्त वर्णित आराजीयात क्रम I व II प्रतिवादी क्रम I को अपने दत्तक पिता किशनलाल व क्रम III व IV आराजीयात अपने प्राकृतिक पिता मोहनलाल से दत्तक पूर्व विरासत में प्राप्त हुई है जारी खाते में प्रतिवादी क्रम I नन्दलाल के खाते में 10.93 हे. आराजी है उक्त पैतृक आराजीयात में से क्रम I आराजीयात को विवादित है। अविभक्त संयुक्त हिन्दु कुटुम्ब के वादीगण प्रतिवादी क्र. I सह स्वामिनी है प्रार्थीनी संख्या क्र. 2 के विवाह उपरान्त आपस में मिल बैठकर अविभक्त संयुक्त हिन्दु कुटुम्ब की आराजीयात का बाहमी बंटवारा कर उक्त वर्णित आराजीयात को वादीगण को उनके हिस्से के रूप में संभला कर आबादीतन 2003 में बाहमी बंटवारा कर दिया बाहमी बंटवारा उपरान्त से वादीगण विवादित आराजी पर बहैसियत मालिक स्वामी काबिज काश्त चले आ रहे है।

विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी क्रम I के नाम खातेदारी में चली आ रही है उक्त विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्रम I के नाम होने से वादीगण अपने हक हिस्से काबिज काश्त की आराजीयात पर के.सी.सी सहकारी बैंक ऋण एवं अनावृष्टि अतिवृष्टि एवं प्राकृतिक प्रकोप से विवादित आराजीयात की फसलों के नुकसानी का मुआवजा प्राप्त करने से एवं विवादित आराजी का भू. सुधार व विकास करने से वंचित हो रहे है संयुक्त हिन्दु कुटुम्ब की पैतृक आराजी में वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। वादीगण विवादित आराजी के हक हिस्सेदार होने से विवादित आराजी के खातेदार कृषक होने की - विधिक प्रास्थिति की घोषणा करवाकर विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है वादीगण के हिस्से की विवादित आराजी को प्रतिवादी क्रम I अपने नाम खाते दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर विवादित आराजी पर के.सी.सी. एवं सहकारी ऋण प्राप्त कर वादीगण की विवादित आराजी को बैंक में रहन रख कर विवादित आराजी पर ऋण भार अधिरोपित करने पर आमादा है प्रतिवादी क्रम I को ऋण भार - अधिरोपित करने से रोकने [illegible] प्रतिवादी क्रम I के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की [illegible] वाद कारण दिनांक 1.10.19 को प्रतिवादी क्रम I द्वारा विवादित आराजी पर के.सी.सी. से ऋण प्राप्त करने

लगातार - 3

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:32:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

की बात वादी गण ने करने पर तहसील बारां क्षेत्र में उत्पन्न हुआ वादी गण द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी गण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी क्र. 1 ता 3 की ओर से इकजाई जवाब दावा पेश हुआ। वादी गण ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम सिमलोदा संवत 2073-76, खाता नं. 64, नकल जमाबंदी ग्राम बड़ा संवत 2073-76 खाता नं. 115, नकल जमाबंदी ग्राम चैनपुरिया संवत 2071-74 खाता नं. 64, नकल जमाबंदी ग्राम चैनपुरिया संवत 2071-74 खाता नं. 43 पेश की गयी तथा वादी नं. धर्मेन्द्र कुमार व नन्दलाल का शपथ पत्र पेश हुआ।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी बहस में वकील वादी द्वारा लिखित बहस पेश की गयी। लिखित बहस में बतलाया कि वाद पत्र की चरण क्र. 1 में वर्णित आराजी क्र. 364 वाके ग्राम चैनपुरिया के खाता नं. 64 व 43 प्रतिवादी क्र. 1 को इन्तकाल नं. से पूर्व अपने प्राकृतिक पिता शंकरलाल से विरासत में प्राप्त हुई - आराजीयात क्र. 1 व 2 अपने दत्तक पिता किशनलाल व माता से प्राप्त हुई चरण सं. 1 में वर्णित आराजीयात पैतृक आराजीयात होने से वादी गण का उक्त आराजीयात में जन्मजात से हक व हिस्सा होने से वादी गण अपने हक व हिस्से की आराजी पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के विधिक अधिकारी हैं खातेदार नन्दलाल के दो पुत्र धर्मेन्द्र, विजय व पुत्री आशा व नीता विधिक वारिसान हैं वाद पत्र की चरण सं. 1 की उप मद (1) ता (4) की कुल आराजीयात का कुल क्षेत्रफल 12.47 हे. है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 उपरान्त पुत्रियों को भी अविभक्त संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब की सहदायिक दर्जा दिया गया है इस कारण वाद पत्र की चरण क्र. 1 में वर्णित पैतृक आराजीयात के पांच सहदायिक हो गये हैं जिनका सहदायिकी आराजी में 1/5-1/5 [illegible] हक हिस्सा निश्चित है खातेदार नन्दलाल एवं वादी गण द्वारा [illegible] 2003 में किया गया बाहमी विभाजन प्रतिवादी क्र. [illegible] आराजीयात में उनके हक हकूकों को प्रभावित [illegible] क्योंकि बाहमी विभाजन में वादी गण को वाके ग्राम सिमलोदा [illegible] खाता सं. 64 की कुल किता 3 रकबा रकबा 4.64 हे. आराजीयात प्राप्त हुई जिस पर वादी गण काबिज काश्त है

WL

लगातार - 4

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:32:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब की सहदायिक आराजी वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कुल 12.47 के पांचों सहदायिक समान हक हिस्सेदार है, प्रत्येक सहदायिक का 1/5-1/5 हिस्सा आराजी रकबा 2.4940 हे. है जबकि बाहमी विभाजन से प्रत्येक वादीगण को 2.3110 हे. आराजीयात प्राप्त हुई है जो शेष रही आराजीयात रकबा 7.85 में प्रतिवादी सं. 1 व 3 प्रत्येक को प्राप्त हक हिस्सा आराजी रकबा 2.6166 हे. से कम होने से प्रतिवादी सं. 2 व 3 के हक हकूक प्रभावित नहीं होते। प्रतिवादी गण द्वारा इकबाली जवाब पेश कर पूर्व बाहमी बटवारे को मिले हक हिस्से को स्वीकार किया है वादी गण का वाद स्वीकार किया जावे।

मैंने अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम सिमाड़ा संवत 2073-76 खाता नं. 64 में मदनलाल पुत्र रतन पुत्र किशनलाल के पूर्व दर्ज है नकल जमाबंदी ग्राम बड़ा संवत 2073-76 खाता नं. 115 में मदनलाल पुत्र किशनलाल जाति जाट के पूर्व दर्ज है नकल जमाबंदी ग्राम चैनपुरिया संवत 2071-74 खाता 64 में मदनलाल पुत्र शंकरलाल हि. 1/2, धर्मेन्द्र पुत्र मदनलाल हि. 1/2 जाति जाट सा. देह दर्ज है नकल. नकल जमाबंदी संवत 2071-74 खाता नं. 43 में मदनलाल पुत्र शंकरलाल के पूर्व दर्ज है इससे यह साबित होता है विवादित आराजी में प्रतिवादी सं. व वादी सं. के खातेदारी में दर्ज है। वादी द्वारा विवादित आराजी को पैतृक होना बताया है परन्तु वादी ने विवादित भूमि को पैतृक साबित नहीं किया है वादी गण विवादित आराजी को पैतृक साबित करने में विफल रहे है खातेदार के जिन्दा रहते हुए वादी को विवादित आराजी में हक हिस्सा दिया जाना उचित नहीं है यदि वादी गण विवादित आराजी को पैतृक साबित करते तो वादी गण को खातेदार की जीवित अवस्था में हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी थे वादी गण द्वारा मात्र वर्तमान जमाबंदी पेश कर विवादित आराजी को पैतृक होना बता रहे है वादी गण को पैतृक भूमि होने का रिकार्ड पेश करना चाहिए था जो वादी गण द्वारा नहीं किया गया है वादी [illegible] पैतृक साबित करने में विफल रहे है वादी गण [illegible] योग्य एवं सेटलमेन्ट नहीं होने से [illegible] पावोविन्ति है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:32:25 IST
Reason: SelfAttested

लगातार- 5

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

निर्णयात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी पक्ष का वाद चलने योग्य एवं मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री/निर्णय पत्र जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(दिव्यांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी
उपखण्ड अधिकारी बा...

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:32:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बारां

लय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

या 136/19 | धारा अंतर्गत 88, 89, 188 RTA | निर्णय दिनांक 18.11.21

री - श्री दिव्यांशु शर्मा आर ए एस उपखण्ड अधिकारी बारां

उपस्थिति - अभिभाषक वादी | अभिभाषक प्रतिवादी

वाद शीर्षक

1. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र चन्दालाल जाति जाट
2. विजय जाट पुत्र चन्दालाल जाति जाट निवासी ग्राम बड़ा तह० बारां

बनाम

1- चन्दालाल पुत्र शंकरलाल दत्तक पुत्र किशनलाल जाति जाट नि० बड़ा तह० बारां
2- श्रीमति आशा पुत्री चन्दालाल पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट नि० मुक्ति धाम रोड लंका कालोनी
3- श्रीमति सीमा चौधरी पुत्री चन्दालाल पत्नी उजागर सिंह चौधरी जाति जाट नि० बड़ा तह० बारां
4- राज० सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद चलने योग्य एवं मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 18.11.2021 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:32:25 IST
Reason: SelfAttested

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		

Scanned with CamScanner